

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

Rakesh Meena^{1*}, Vikram Meena²

¹ Research Scholar, University of Rajasthan

² Research Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

सार - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के कृष और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरआरबीएस अपने वशाल नेटवर्क के माध्यम से भारत के ग्रामीण इलाकों में अधिक पहुंच गया है। भारत में ग्रामीण ऋण की सफलता काफी हद तक उनकी वृत्तीय ताकत पर निर्भर करती है। आरआरबी ग्रामीण स्तर पर प्रमुख वृत्त पोषण संस्थान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में व भन्न प्रकार के कृष ऋणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वर्तमान में, अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अतिदेय, वसूली, गैर-निष्पादित आस्तियों और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस लए, भारत में आरआरबी के वृत्तीय प्रदर्शन का अध्ययन करना आवश्यक है। यह पेपर 2006-07 से 2010-2011 की अवध के दौरान भारत में आरआरबी के वृत्तीय प्रदर्शन का वश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन नाबार्ड और आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट से एकत्रित वृत्तीय डेटा पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक वश्लेषण जैसे क बैंकों और शाखाओं की संख्या, जमा, ऋण, ऋण, निवेश और विकास दर सूचकांक का एक वश्लेषणात्मक अनुसंधान डजाइन का पालन कया जाता है। अध्ययन प्रकृति में नैदानिक और खोजपूर्ण है और वृत्तीय डेटा का उपयोग करता है। अध्ययन से पता चलता है और निष्कर्ष निकाला है क आरआरबी के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।

कीवर्ड - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, विकास दर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

-----X-----

परिचय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय वृत्तीय परिदृश्य में लगभग 36 वर्षों से अस्तित्व में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लए बनाई गई थी, वशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशए पर रहने वाले वर्गों के बीच। बैंकंग आयोग (1972) ने ग्रामीण ऋण के लए एक वैकल्पिक संस्था स्थापन करने की सफारिश की और अंततः भारत सरकार ने एम. नरसम्हम की अध्यक्षता में कार्य समूह की सफारिशों के आधार पर मूल रूप से ग्रामीण ऋण के लए एक अलग संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। गरीबों को कम लागत वाली बैंकंग सुवधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लए, नरसम्हम वरकंग गुप (1975) ने संस्थानों के रूप में बैंकों के एक नए समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो "स्थानीय अनुभव और ग्रामीण समस्याओं से परिचित हों, जो सहकारी समितियों के पास हैं। और व्यापार संगठन की

डगी, जमारा श जुटाने की क्षमता, केंद्रीय मुद्रा बाजारों तक पहुंच और आधुनिक दृष्टिकोण जो वाणज्यिक बैंकों के पास है"।

इसके बाद, 1976 के आरआरबी अधिनियम की घोषणा के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आरआरबी अधिनियम, 1976 वकासात्मक और पुनर्वतरण दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लए इस समग्र दृष्टि को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। आरआरबी की स्थापना "ग्रामीण क्षेत्रों में कृष, व्यापार, वाणज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिवधियों के विकास के उद्देश्य से, वशेष रूप से छोटे और सीमांत कसानों को ऋण और अन्य सुवधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वकसत करने की दृष्टि से की गई थी।" खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों, और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लए"। उनकी इक्विटी क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा

आयोजित की जाती है। इन ग्रामीण वतीय संस्थानों के जनादेश थे:

1. कंग को ग्रामीण जनता के दरवाजे तक ले जाना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बैंक सुवधाएं नहीं हैं;
2. समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए, इन बैंकों के एकमात्र ग्राहक कौन थे?
3. ग्रामीण बचत को जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गति व धर्यों का समर्थन करने के लिए उन्हें व्यवस्थित करना;
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना
5. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की लागत को कम करना

साहित्य की समीक्षा

देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज और प्रदर्शन को देखने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। भारत में आरआरबी के कामकाज और प्रदर्शन में उपलब्ध साहित्य थोड़ा सीमित है। केंद्र सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित व भन्न समितियों, आयोगों और कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के रूप में जांचकर्ताओं द्वारा प्राप्त साहित्य, शोध अध्ययन, शोधकर्ताओं के लेख, बैंक अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों और आर्थिक विश्लेषकों की टिप्पणियों और इस भाग में समाचार की संक्षिप्त समीक्षा की गई है। समीक्षाओं के कुछ संबंधित साहित्य इस प्रकार हैं।

केलकर समिति (1986) ने संगठनात्मक और परिचालन दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक सफारिशें कीं। इनमें से कई को आरआरबी अधिनियम, 1976 में संशोधन के रूप में शामिल किया गया था जैसे:

1. आरआरबी की अधिकृत पूंजी को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और प्रदत्त शेयर पूंजी को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना;
2. नाबार्ड के परामर्श से संबंधित प्रायोजक बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति;
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके अस्तित्व के पहले

पांच वर्षों में प्रायोजक बैंकों द्वारा आरआरबी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आरआरबी को वतीय सहायता देने के लिए अधिक मात्रा में सहायता का प्रावधान;

4. सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से आरआरबी के सम्मेलन का प्रावधान।
5. प्रायोजक बैंकों को आरआरबी की प्रगति की निगरानी करने और उनके निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि की व्यवस्था करने के लिए सशक्त बनाना।

हालांकि कार्यान्वयन की प्रगति धीमी थी (संशोधित अधिनियम केवल सितंबर, 1988 के अंत तक लागू हुआ), इसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश थी।

नाबार्ड (1986) ने "आरआरबी व्यवहार्यता पर एक अध्ययन" प्रकाशित किया, जिसे नाबार्ड की ओर से 1986 में कृषि वित्त निगम द्वारा संचालित किया गया था। अध्ययन से पता चला कि आरआरबी की व्यवहार्यता अनिवार्य रूप से फंड प्रबंधन रणनीति, संसाधनों की गतिशीलता और उनकी तैनाती के बीच मार्जिन और अग्रियों के साथ वर्तमान और भविष्य की लागतों पर नियंत्रण पर निर्भर थी। स्थापना लागत का कुल लागत से अनुपात और शाखाओं का वस्तुमूल्य महत्वपूर्ण कारक थे, जो उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित करते थे। अध्ययन ने आगे निष्कर्ष निकाला कि आरआरबी को अपने सस्टम में दोषों के कारण नुकसान उठाना पड़ा, इन्हें सुधारने और उन्हें व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता थी। अध्ययन के मुख्य सुझावों में बुनियादी सुवधाओं में सुधार और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उन क्षेत्रों में शाखाएं खोलना शामिल था जहां आरआरबी पहले से ही कार्य कर रहे थे।

वर्ष 1989 में पहली बार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संपूर्ण संरचना की अवधारणा को कृषि ऋण समीक्षा समिति (खुसरो समिति) द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि इन बैंकों के पास जारी रखने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है और उन्होंने प्रायोजक बैंकों के साथ उनके वलय की सफारिश की। समिति का वचार था कि "आरआरबी की कमजोरियां प्रणाली के लिए स्थानिक हैं और इसमें गैर-व्यवहार्यता अंतर्निहित है, और एकमात्र विकल्प आरआरबी को प्रायोजक बैंकों के साथ वलय करना था। कमजोर वर्गों की प्रभावी ढंग से सेवा

करने का उद्देश्य केवल आत्मनिर्भर क्रेडिट संस्थानों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।"

वर्तीय प्रणालियों पर समिति, 1991 (नरसम्हम समिति) ने आरआरबी के खराब वर्तीय स्वास्थ्य पर जोर दिया और हर दूसरे प्रदर्शन संकेतक को बाहर कर दिया। 196 आरआरबी में से 172 को 40.8 प्रतिशत के कुल ऋण वसूली प्रदर्शन के साथ लाभहीन दर्ज किया गया। (जून 1993)। इन बैंकों के कम इक्विटी आधार (25 लाख रुपये की चुकता पूंजी) ने अधिकांश आरआरबी के ऋण घाटे को कवर नहीं किया। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में पूंजी के अलावा जनता की जमा राश में भी कमी आई है। आरआरबी के संचालन को व्यवहार्यता प्रदान करने के लिए, नरसम्हम समिति ने सुझाव दिया कि आरआरबी को सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न होने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें अपने संचालन को लक्षित समूहों तक सीमित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, एक प्रस्ताव जिसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया था। इस सफारिश ने आरआरबी के कामकाज में एक प्रमुख मोड़ दिया।

बैंकिंग दक्षता पर समकालीन साहित्य दक्षता (1) लेखांकन उपाय (2) आर्थिक माप को मापने के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को बताता है।

लेखांकन उपाय व भन्न वर्तीय अनुपातों के उपयोग को संदर्भित करता है जो एक बैंकिंग इकाई के प्रदर्शन को मापने के लिए एक या अधिक आउटपुट और उनके प्रासंगिक इनपुट पर ध्यान केंद्रित करता है। आरआरबी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ताओं और कार्य समूहों / समितियों द्वारा वर्तीय अनुपात दृष्टिकोण का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। आरआरबी के प्रदर्शन मूल्यांकन पर अधिकांश अध्ययन विशेष राज्य/क्षेत्र के बैंकों पर केंद्रित हैं। कुछ अध्ययन हैं: सिंह (1992) ने पंजाब में आरआरबी बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया। प्रसाद (2003) ने भारत में आरआरबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। इसके अलावा, पति (2005) ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन का विकास किया। बागची और हादी (2006) का अध्ययन पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित था। साहित्य में कुछ अध्ययन भी मौजूद हैं जो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दक्षता पर केंद्रित हैं। अब तक किए गए कुछ अध्ययन इस प्रकार हैं: सुधाकर एवं अन्य (1984) ने मैसूर जिले में कावेरी ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया; परमार (1986) ने गुजरात में बनासकांठा मेहसाने ग्रामीण बैंक के

प्रदर्शन का आकलन किया; सांगवान (1988) ने आंध्र प्रदेश में चटज ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का विश्लेषण किया; जगदीश और अन्य (1990) ने कर्नाटक में तुंगभद्रा गर्मन बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। इसके अलावा, होसामनी (2002) ने कर्नाटक में मालाप्रभा ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का पता लगाया और यदप्पनवर और नाथ (2003) ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद और जालना ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन का आकलन किया। हालांकि वर्तीय लेखा अनुपात का उपयोग करना आसान है और समझने में अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन बैंक के प्रदर्शन को मापने के लिए उनका उपयोग व भन्न समस्याओं से ग्रस्त है। एहतियाती उपाय के रूप में, दुनिया भर में अधिकांश पर्यवेक्षी प्रणालियों में इन अनुपातों पर आधारित वनियामक ढांचा (जैसे CAMEL रेटिंग) स्थापित किया गया है। इसके अलावा, शर्मन और गोल्ड (1985) ने कहा कि वर्तीय अनुपात लंबी अवधि के प्रदर्शन पर कब्जा नहीं करते हैं। यह उपाय समग्र दक्षता स्तर निर्धारित करने वाले अलग-अलग मापदंडों के संदर्भ में बैंक के प्रदर्शन के विश्लेषण में भी मदद करता है क्योंकि बैंकों की दक्षता को ठीक से मापना मुश्किल है।

अध्ययन का उद्देश्य

- भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए।
- भारत में आरआरबी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण करना
- 2006-05 से 2015-11 के दौरान आरआरबी की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास-पैटर्न का अध्ययन करना।
- आरआरबी के कामकाज में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देना।

अनुसंधान क्रियावध

भारत में आरआरबी के वर्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की मदद से किया गया है। विकास दर की गणना के लिए वर्ष 2015-2020 को चालू वर्ष तथा वर्ष 2009-2010 को आधार वर्ष माना गया। नियोजित विश्लेषणात्मक तकनीकें- आरआरबी से संबंधित वर्तीय प्रदर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से विकास दर

वश्लेषण कया गया था। वकास दर को निम्न सूत्र की सहायता से मापा जाता है-

$$\text{Growth Rate} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Y_t = चालू वर्ष, y_{t-1} = आधार वर्ष.

अनुसंधान डजाइन

वर्तमान अध्ययन प्रकृति में नैदानिक और खोजपूर्ण है और द्ववतीयक डेटा का उपयोग करता है। यह अध्ययन 2006-07 से शुरू होकर 2010-11 तक 5 साल की अवध के लए केवल व शष्ट क्षेत्रों जैसे क शाखाओं की संख्या, जिला कवरेज, जुटाई गई जमा रा श, क्रे डट और भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कए गए निवेश तक ही सी मत है।

डेटा संग्रह की वध

वर्तमान अध्ययन वश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित चरित्र में अनुभवजन्य है। अध्ययन मुख्य रूप से द्ववतीयक डेटा पर आधारित है जो मुख्य रूप से नाबाई और आरबीआई की वार्षक रिपोर्ट से एकत्र, संकलत और गणना की जाती है। पत्रिकाओं, सम्मेलन की कार्यवाही और वेबसाइटों से एकत्रित अन्य संबधत जानकारी।

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक और आरआरबी का वकास

ता लका 1 वर्ष 2006-07 से आरआरबी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक और वकास को प्रस्तुत करता है 2010-2011,

ता लका 1. भारत में आरआरबी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

(रु. करोड में)

| वैरामीटर | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | विकास |
|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| आरआरबी की संख्या | 96 | 91 | 86 | 82 | 82 | --- |
| लाभ/हानि बनाना | 81/15 | 83/8 | 80/6 | 79/3 | 75/7 | --- |
| शाखाओं की संख्या | 14526 | 14761 | 15158 | 15480 | 16001 | 3.36 |
| जिलों को कवर किया गया | 534 | 594 | 617 | 618 | 620 | 0.32 |
| कर्मचारी | 68289 | 68005 | 68509 | 69042 | 70153 | 1.61 |
| स्वामित्व निधि | 7285.98 | 8732.59 | 10895.73 | 12247.16 | 13838.92 | 13.00 |
| जमा | 83143.55 | 99093.46 | 120184.46 | 145035.00 | 166232.34 | 14.60 |
| उधारी | 9775.80 | 11494.00 | 12733.80 | 18770.00 | 26490.81 | 41.10 |
| निवेश | 45666.14 | 48559.54 | 62629.45 | 79379.16 | 86510.44 | 8.98 |
| सकल ऋण (O/s) | 48492.59 | 58984.27 | 67858.48 | 82819.10 | 98917.43 | 19.14 |
| ऋण जारी | 33043.49 | 38581.97 | 43445.59 | 56079.24 | 71724.19 | 27.90 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| सीडी अनुपात | 58.32 | 59.52 | 56.46 | 57.10 | 59.51 | --- |
| संचित घाटा | 2759.49 | 2624.22 | 2325.59 | 1775.06 | 1532.39 | - 13.67 |
| कर देने से पूर्व लाभ | 926.40 | 1383.68 | 1859.36 | 2514.83 | 2420.75 | - 3.74 |
| नुक्सान | 301.25 | 55.58 | 35.91 | 5.65 | 71.32 | 1162.30 |
| सरकार को भुगतान किया गया कर। | 139.66 | 301.12 | 461.14 | 625.25 | 634.22 | 1.44 |
| सकल एनपीए | 3178.01 | 3566.34 | 2804.02 | 3084.82 | 3712.00 | 20.32 |
| सकल एनपीए % | 6.55 | 6.05 | 4.13 | 3.72 | 3.75 | --- |
| शुद्ध एनपीए राशि | 1625.41 | 1929.71 | 1114.54 | 1423.31 | 1941.32 | 36.39 |
| नेट एनपीए % | 3.46 | 3.19 | 1.68 | 1.80 | 2.05 | --- |
| वसूली % | 79.80 | 80.84 | 77.76 | 80.09 | 81.18 | --- |
| निवल मूल्य | 4526.48 | 6107.37 | 8570.04 | 10472.10 | 12306.53 | 17.52 |
| शाखा उत्पादकता | 9.06 | 10.75 | 12.41 | 14.72 | 16.57 | 12.57 |
| कर्मचारी उत्पादकता | 1.93 | 2.33 | 2.74 | 3.70 | 3.78 | 2.16 |

1. स्वा मत्व नि ध

31 मार्च 2011 को 31 मार्च 2010 को 12247.16 करोड की तुलना में 31 मार्च 2011 को शेयर पूंजी, शेयरधारकों से प्राप्त शेयर पूंजी जमा और रिजर्व सहित 13838.92 करोड पर आरआरबी के स्वा मत्व वाली नि ध; 13.0% की वृद्ध दर्ज की। 1591.76 करोड की स्वा धकृत नि धयों में वृद्ध मुख्य रूप से लाभ कमाने वाले आरआरबी द्वारा भंडार में वृद्ध के कारण थी। शेयर पूंजी और शेयर पूंजी जमा मलाकर कुल स्वा धकृत नि ध का 4273 करोड था जब क शेष रा श 9566 करोड आरक्षत रा श का प्रतिनि धत्व करती थी।

2. जमा

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमारा श 14.60% की वृद्ध दर दर्ज करते हुए 145035 करोड से बढ़कर 166232.34 करोड हो गई। गुडगांव जीबी ने 37% की उच्चतम जमा वृद्ध दर दर्ज की। सोलह (16) आरआरबी हैं जिनमें से प्रत्येक में 3000 करोड से अधिक की जमा रा श है।

3. उधार

आरआरबी का उधार 31 मार्च 2010 को 18770 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 26490.81 करोड हो गया, जिसमें 41.10% की वृद्ध दर्ज की गई। पछले वर्ष के 22.7% की तुलना में बकाया सकल ऋण की तुलना में उधारी 26.8% थी।

धन का उपयोग

आरआरबी के धन के उपयोग में निवेश और ऋण और अग्रम शा मल हैं।

4. निवेश

आरआरबी का निवेश 31 मार्च 2010 को 79379.16 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 86510.44 करोड़ हो गया, जो 8.98% की वृद्धि दर्ज करता है। एसएलआर निवेश की राशि ₹ 45022 करोड़ थी जबकि गैर-एसएलआर निवेश ₹ 41488 करोड़ था। आरआरबी का निवेश जमा अनुपात (आईडीआर) 31 मार्च 2011 को 31.3.2001 को 72% से धीरे-धीरे घटकर 52.04% हो गया।

5. ऋण और अग्रम

वर्ष के दौरान बकाया ऋण 16098.33 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2011 को 98917.43 करोड़ हो गया, जो पहले वर्ष की तुलना में 19.4% की वृद्धि दर दर्ज करता है। मेघालय ग्रामीण बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 35% की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की।

6. जारी किए गए ऋण

वर्ष के दौरान आरआरबी द्वारा जारी कुल ऋण पहले वर्ष के दौरान 56079.24 करोड़ से बढ़कर 27.90% की वृद्धि दर्ज करते हुए 71724.19 करोड़ हो गया। समस्तीपुर केजीबी ने 2010-11 के दौरान 123% की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की, जिसके बाद आंध्र प्रदेश जीवीबी 112% पर रहा।

कार्य परिणाम

1. लाभप्रदता

वर्ष 2010-2011 के दौरान 75 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से) ने 2420.75 करोड़ की सीमा तक लाभ (कर से पहले) अर्जित किया है। लाभ पहले वर्ष की तुलना में मामूली कम था। 634.22 करोड़ के आयकर के भुगतान के बाद शुद्ध लाभ 1786.53 करोड़ हो गया। शेष 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ₹ 71.32 करोड़ की हानि हुई।

2. संघटन घाटा

31 मार्च 2011 तक, 31 मार्च 2010 को 1775.06 करोड़ (27 आरआरबी) की तुलना में 31 मार्च 2011 को 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 23 का संघटन घाटा 1532.39

करोड़ रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संघटन घाटा 242.67 करोड़ घट गया।

3. अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

31.03.2011 को आरआरबी का सकल एनपीए 3712 करोड़ था (यानी 3.75%)। वर्ष के दौरान आरआरबी के शुद्ध एनपीए के प्रतिशत में 1.8% से 2.05% की वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों से पता चला कि 15 आरआरबी का सकल एनपीए प्रतिशत 2% से कम था, जबकि 33 आरआरबी का यह 5% से अधिक था।

4. रिकवरी प्रदर्शन

30 जून 2009 को 80.09% से 30 जून 2010 को 81.18% तक 2009-10 के दौरान वसूली प्रतिशत में सुधार हुआ है। कुल बकाया, हालांकि, 30 जून 2010 को 934 करोड़ से बढ़कर 9805 करोड़ हो गया।

5. क्रेडिट जमा अनुपात

आरआरबी का कुल सीडीआर 31 मार्च 2010 को 57.10% से बढ़कर 31 मार्च 2011 को 59.51% हो गया। आठ आरआरबी ने 100% से अधिक सीडीआर की सूचना दी।

6. शाखा और कर्मचारियों की उत्पादकता

शाखा उत्पादकता 12.57% की वृद्धि के साथ 2009-10 में 14.72 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 16.57 करोड़ हो गई। इसी तरह, 2010-11 में कर्मचारियों की उत्पादकता 2.16% की वृद्धि के साथ 2009-10 में 3.70 करोड़ से बढ़कर 3.78 करोड़ हो गई।

वर्ष 2010-2011 के दौरान नीतिगत पहलें

1. सीआरएआर में सुधार के लिए पूंजी प्रवाह

आरआरबी की दिनांक 18.08.2009 की वक्त मंत्री की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, डॉ. के.सी. की अध्यक्षता में भारत सरकार, वक्त मंत्रालय, वृत्तीय सेवा विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई थी। चक्रवर्ती, डप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, को सीआरएआर के संदर्भ में आरआरबी की वृत्तीय स्थिति की जांच करने और मार्च 2012 तक 9% का सीआरएआर हासिल करने के लिए रोडमैप सुझाने के लिए कहा गया है। डॉ. के.सी. चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट 21 राज्यों में 40 चयनित आरआरबी को पुनर्पूँजीकरण 2010-11 में

शुरू किया गया था। पुनर्पूजीकरण राश को हितधारकों द्वारा उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अर्थात् 50%, 35% और 15% केंद्र सरकार, संबंधित प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाना है। अनुमोदित योजना के अनुसार, केंद्र सरकार के हिस्से की रिहाई केंद्र सरकार, संबंधित प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक हिस्सेदारी के अधीन है। 2010-11 के दौरान 5 आरआरबी को 66.49 करोड़ की राश जारी की गई थी।

समिति की सफारिशों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने अन्य शेयरधारकों के साथ 2200 करोड़ की सीमा तक धनराश लगाकर आरआरबी को पुनर्पूजीकृत करने का निर्णय लिया। कार्यान्वयन पहले से ही चल रहा है और 2012-13 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा वनियम 2010

अमरेश कुमार समिति की सफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने आरआरबी सेवा वनियम 2010 जारी किया।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमावली 2010

भारत सरकार ने जुलाई 2010 में आरआरबी नियुक्ति और पदोन्नति नियम 2010 को भी अधिसूचित किया।

4. कोर बैंकंग सॉल्यूशंस (CBS) के माध्यम से प्रौद्योगिकी नवाचार

आरआरबी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उनकी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर रखी जाएं ताकि वे अपने ग्राहकों को परेशानी मुक्त और कहीं भी बैंकंग सेवाएं प्रदान कर सकें। 30 सितंबर 2011 को 80 आरआरबी को पूरी तरह से सीबीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है। नाबाई वतीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) से कोर बैंकंग समाधान के लिए 40% की सीमा तक पहचाने गए 28 कमजोर आरआरबी को वतीय सहायता प्रदान कर रहा है और शेष लागत होगी प्रायोजक बैंक (50%) और आरआरबी (10%) द्वारा साझा किया गया

5. वतीय समावेशन

जैसा कि भारत सरकार द्वारा परिकल्पित किया गया है, आरआरबी एक समूह के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़ी संख्या में "नो फ्रिल्स" खाते खोलकर और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के तहत

वतपोषण करके ग्रामीण क्षेत्रों में वतीय समावेशन के लिए एक मजबूत मध्यस्थ बन गए हैं। मार्च 2011 में खातों की कुल संख्या 1310.17 लाख थी जो मार्च 2010 में 1188.67 लाख थी।

6. आरआरबी को ब्याज सबवैशन

केंद्रीय बजट 2010-11 में ब्याज सबवैशन योजना को जारी रखने की घोषणा की गई थी। प्रति कसान 3 लाख रुपये तक के फसली ऋण के लिए अपने स्वयं के धन को लगाने के लिए आरआरबी को 1.5% प्रति वर्ष का ब्याज सबवैशन उपलब्ध था, बशर्ते कि अंतिम उधारकर्ता को प्रति वर्ष 7% ब्याज पर ऐसा ऋण मिले। वर्ष के दौरान उन कसानों के लिए 2% की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई, जिन्होंने संवत्करण के एक वर्ष के भीतर तुरंत फसल ऋण चुका दिया। इस प्रकार, ऐसे कसानों द्वारा फसल ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज प्रभावी रूप से 5% की दर से था।

आरआरबी की समस्याएं (कमजोरी)।

हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा नेटवर्क का तेजी से वस्तुतः हुआ और व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई, इन संस्थानों को निम्नलिखित समस्याओं के कारण एक बहुत ही कठिन वकासवादी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

1. संचालन का बहुत सीमा क्षेत्र
2. केवल लक्षित समूह के संपर्क में आने के कारण उच्च जोखिम
3. जनता की धारणा है कि आरआरबी गरीब आदमी के बैंक हैं
4. संसाधन-गरीब क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में संचालन के गैर-व्यवहार्य स्तर के कारण बढ़ते नुकसान।
5. टर्न-ओवर रणनीति के रूप में संकीर्ण निवेश बैंकंग पर स्विच करें
6. प्रायोजक बैंकों से सौतेले व्यवहार को छोड़कर, कम रिटर्न वाले निवेश के अवसरों के लिए प्रायोजक बैंकों पर भारी निर्भरता।
7. प्रायोजक बैंकों द्वारा निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त क्षेत्रीय प्रबंधकों के निर्देशन में आरआरबी

के अध्यक्ष

8. सरकारी सब्सिडी योजनाओं का बोझ और ग्राहकों की अपर्याप्त जानकारी के कारण कम गुणवत्ता वाली संपत्त
9. लाभ उन्मुखीकरण और कार्यात्मक दक्षता के प्रति कम प्रतिबद्धता वाले संघबद्ध कर्मचारी।
10. लाभ उन्मुखीकरण के लिए ट्रेजरी प्रबंधन में अपर्याप्त कौशल
11. ऋण देने वाले पोर्टफोलियो को सी मत करने वाले उत्पादों को नया करने के लिए अपर्याप्त जोखिम और कौशल
12. एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मामलों और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की क्षमता में उत्कृष्टता के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त प्रयास
13. अधिकांश निर्णयों के लिए प्रायोजक बैंकों, भारत सरकार, नाबाई और आरबीआई की ओर देखने की बाध्यता द्वारा बोर्ड को गंभीर रूप से कमजोर करना।
14. कर्मचारियों की भर्ती पर बोर्ड के प्रतिबंध से आरआरबी बाधित।

निष्कर्ष

निष्कर्ष निकालने के लिए, आरआरबी के तेजी से वस्तार ने भारत में बैंक सुवधाओं के संबंध में क्षेत्रीय वषमताओं को काफी हद तक कम करने में मदद की है। शाखा वस्तार, जमा संग्रहण, ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग में ऋण परिनियोजन में आरआरबी द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। आरआरबी सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है जैसे ग्रामीण परिवारों के दरवाजे तक बैंक ले जाना, विशेष रूप से बैंक से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में, कमजोर ग्रामीण वर्ग के लिए आसान और सस्ता ऋण प्राप्त करना, जो निजी उधारदाताओं पर निर्भर हैं, उत्पादक गतिवधियों के लिए ग्रामीण बचत को प्रोत्साहित करना, रोजगार पैदा करना ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्राप्त करने की लागत को कम करने के लिए। इस प्रकार आरआरबी सबसे मजबूत बैंक नेटवर्क प्रदान कर रहा है। ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार को कुछ प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास के लिए छोटे, सीमांत कसानों और जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण वितरण के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण के एक महत्वपूर्ण वाहन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर भी इसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता इसके सीमित व्यापार लचीलेपन, ऋण के छोटे आकार और ऋण और अग्रियों में उच्च जोखिम के कारण पूछताछ की गई है। ग्रामीण बैंकों को अपने संचालन में पारदर्शिता की कमी को दूर करने की आवश्यकता है जो बैंक और ग्राहक के बीच असमान संबंध की ओर ले जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बैंक कर्मचारियों को अपने ग्राहकों से अधिक बातचीत करनी चाहिए। बैंकों को अपनी शाखाएं उन क्षेत्रों में खोलनी चाहिए जहां ग्राहक बैंक सुवधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धी युग में, आरआरबी को मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तेज, गुणात्मक और सुरक्षित बैंक सेवाओं पर ध्यान देना होगा।

संदर्भ

1. बगाची, के.के. और ए. हादी (2006), पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन: एक मूल्यांकन, सीरियल प्रकाशन: नई दिल्ली।
2. बोस, एस. (2005) रीजनल रूल बैंक्स: द पास्ट एंड द फ्यूचर डबेट
3. दास, यू.आर. (1998) "प्रदर्शन और आरआरबी की संभावनाएं", बैंक वित्त नवंबर।
4. गुप्ता, एस.के. (1996) "प्रॉफटेबिलिटी एंड रीजनल रूल बैंक्स", कुरुक्षेत्र, जुलाई।
5. गुप्ता और सोढी (1995), "इकोनॉमिक लबरलाइजेशन एंड रूल क्रेडिट", कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम। XLIII, नंबर 10, पी-27-30
6. हॉर्समैन, एस.बी (2002), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन, नई दिल्ली,
7. इब्राहिम डॉ. एम. सैयद (2010) "भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन मूल्यांकन", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान वॉल्यूम। 3, नंबर 4; पी-203-211
8. झम पूनम (2012) "बैंक सेक्टर रिफॉर्मर्स एंड

प्रोग्रेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया (एन एनालिटिकल स्टडी)", ऑनलाइन प्रकाशित 11 जनवरी।

9. खानखोजे, डी. और सत्ये, एम. (2008) "ग्रामीण बैंकों की दक्षता: भारत का मामला", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान, वॉल्यूम 1. नंबर 2, पीपी। 140-149।
10. कन्नन, आर. (2004), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. मश्रा, बी.एस. (2006), "भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन: भव्य के लिए सुझाव देने के लिए अतीत कुछ भी है", आरबीआई समसामयिक पत्र, खंड 27, संख्या 1 और 2
12. मोहिंद्रा वर्शा और कौर डॉ. जियान, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया: ए माल्मक्विस्ट एप्रोच, अ भनव जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वॉल्यूम 1 अंक 3, पी-75-86
13. मोहिंद्रा वर्शा और कौर जियान (2012) रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया संस रिफॉर्मर्स: ए स्टडी ऑफ टेक्निकल एफ शएंसी, प्रेरणा, मार्च।
14. प्रसाद, टी.एस. (2003), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: प्रदर्शन मूल्यांकन, कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम। 51, नंबर 10, पी। 20-24।
15. संघा, कन्हैया (1990) "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन", कुरुक्षेत्र, 38 (10): 9-11।

Corresponding Author

Rakesh Meena*

Research Scholar, University of Rajasthan